जागरण विमर्श में प्रोफेसर रीतेश साह ने उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर साझा किए अपने विचार

पहाड़ों को बर्बाद कर रहा अनियंत्रित पर्यटन, समय रहते समाधान तलाशने की जरूरत

जागरण विमर्श

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: अनियंत्रित पर्यटन ने पहाड़ों की पारिस्थितिकी और पलायन पर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनमें लंबे यातायात जाम, कूड़े से पटे पहाड़ और अंधाधुंध निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।

पारिस्थितिकी और भौगोलिक रूप से संवेदनशील इन जगहों पर धारण क्षमता से कई गुना अधिक लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन स्थानों पर पर्यटन को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, वरना पहाड़ बर्बाद हो जाएंगे। ये बातें लंबे समय से पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रोफेसर रीतेश साह ने कहीं।

कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति-मालदीव मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के सहायक निदेशक प्रो. साह ने सोमवार को अर्थोज़ा जागरण विमर्श कार्यक्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। नैनीताल, भीमताल, भवाली, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, कौसानी, मुनस्यारी समेत अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटन सीजन में लोगों की भारी भीड़ पहुंचती है। इससे सड़कों पर जाम लगता है। पर्यटक जाम में परेशान होते हैं और एम्बुलेंस जैसे अपने वेहिकल के काम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए इन शहरों में अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहा है। होटल, रेसॉर्ट बनाने के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं। पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए भूजल का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। जाम को देखते हुए सड़कों के चौड़ीकरण की योजनाएं बन रही हैं। इसमें पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव है।

कचरा प्रबंधन बड़ी समस्या, पर्यटक भी फैलाते हैं यहां कूड़ा

पर्यटकों की ओर से किए जा रहे कचरे का प्रबंधन बड़ी समस्या है। पर्यटक भी कार-उधर प्लास्टिक कचरा फैलाते हैं। डेस्टिनेट मीडिया ने प्रभावित होकर पर्यटकों की जो भीड़ आ रही है, वो शराब की बोतलें, सिगरेट बट्स, निषेधक पदार्थ होटलों में खोकर जा रहे हैं। इन होटलों और होम स्टे में कचरा प्रबंधन नहीं होता है वे इस कचरे को नालियों में फेंक देते हैं, जो पानी के साथ होकर, नदियों में बहकर पहुंच जाता है। हमें इसे रोकना चाहिए और पर्यटकों को भी जागरूक करना चाहिए।

पर्यटक के रूप में पहले लेखक और शिक्षाविद् पहुंचते थे

पहले लेखक, शिक्षाविद् जैसे लोग पर्यटन के लिए आते थे। वे लंबे समय तक रुकते थे। उनसे स्थानीय लोग भी सीखते थे, लेकिन अब पैसे पर्यटकों की आवक में भी कमी आई है। अब पर्यटक एक-दो दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। स्थानीय लोगों से उनका कोई जुड़ाव भी नहीं होता है। वह आते हैं कुछ कर चले जाते हैं।

प्रो. रीतेश साह • सौ. स्वयं

हमें आने वाली चुनौतियों से इस प्रकार से निपटना होगा

- पर्यटन क्षेत्र की धारण क्षमता के अनुरूप ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाए
- कूड़ा फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाए, ताकि लोग आगे से ऐसा करने से बचें
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पर्यटकों के पहुंचने के पैटर्न का अध्ययन कर योजना बनाई जाए
- हर एक स्पॉट मानक की तर्ज पर एक पर्यटन केंद्र के आसपास की जगहें विकसित की जाएं, ताकि पर्यटक वहां भी जाएं
- ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उनका पालन लेना और पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए इससे पर्यटकों को भी सुविधा होगी और कूड़ा-कचरा फैलना भी बंद हो जाएगा।
- पर्यटन को लोक संस्कृति से जोड़ा जाए, ताकि एक ही सीजन में भीड़ के बजाय अलग-अलग मौकों पर लोग पहुंचें।

सार संक्षेप

सड़क हादसे ने छीनी चलने की शक्ति, मदद की अपील

हेम चंद्र पांडे • स्वयं

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : रामनगर के हजारी गांव निवासी हेम चंद्र पांडे चलने के लायक नहीं है। तीन साल पहले लालकुआं क्षेत्र में वे हादसे का शिकार हो गए। उन्हें डॉ. सुशील तिवारी अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। आर्थिक तंगी के कारण इलाज बीच में रुक गया। उनकी पत्नी एक स्कूल में मात्र छह हजार रुपये नौकरी करती है। इतनी कम आय में अपने का इलाज संभव नहीं है। इसी देखते हुए समाजसेवी हेमंत सिंह नेगिया ने सांसद अजय भट्ट से दूरभाष पर वार्तालाप कर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। डीएम पलाश रंजन से भी इस संबंध में वार्ता की है। उन्होंने सभी से मदद कि अपील करते हुए कहा कि हेम चंद्र पांडे के इलाज में सहयोग देने के लिए मोबाइल पे नंबर 8048628705 पर क्षमता के अनुसार मदद करें।

वन विभाग के पेक में कर दी गलती, नया सौंपा गया

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : काठगोदाम रेंज के अंतर्गत बनभूलपुरा गांव में बाघ के हमले में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को दिए गए पेक में चूक हो गई। वन विभाग की ओर से दिए गए पेक में राशि लिखने में चूक होने के कारण विभाग को दूसरी बार पेक देना पड़ा। दरअसल, पिछले महीने जंगल में घास काटने के लिए गई कमला पालीवाल को बाघ ने मार दिया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से महिला के परिवार को 10 लाख रुपये का पेक दिया गया था। लेकिन, बैंक की ओर से सात मार्च को वन विभाग को पेक में चूक होने की जानकारी दी गई। इसके बाद नौ मार्च को विभाग की ओर से नया पेक दिया गया। रामनगर डिवीजन के डीएफओ हरिश मनीलिथ ने बताया कि परिवार को सही पेक दे दिया गया है।

बिना टिकट प्लेटफार्म पर घूमने वाले नौ लोगों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : आरपीएफ ने मंगलवार को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में अनधिकृत रूप से घूमने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अभियान चलाया। इस दौरान नौ लोगों को बिना टिकट अनावश्यक रूप से प्लेटफार्म पर घूमते पकड़ा गया। इसके अलावा आरपीएफ ने स्टेशन परिसर में जागरूकता अभियान भी चलाया। साथ ही ऐसी घटनाओं से दूर रहने की अपील की गई। ट्रेन में निरीक्षण करते समय महिलाओं को ट्रेन में नशीले पदार्थ सेवन पाया गया। जैसी अपराधों के प्रति सचेत किया गया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर डीएस कायथ ने बताया कि महिलाओं को रेलवे की 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन सहायता 139 के बारे में बताया गया। जहां किसी प्रकार की परेशानी, संदिग्ध गतिविधि होने पर वह सहायता ले सकते हैं।

टूटी सड़कों से गलियों में नहीं घुस पा रहे कूड़ा वाहन

नगर निगम में नगर आयुक्त ने सुनीं बैंगी सेना की समस्याएं, गीला-सूखा कूड़ा अलग करने को चलेगा जागरूकता अभियान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: गीले और सूखे कूड़े को अलग कर निगम को देने के लिए बैंगी सेना के माध्यम से घर-घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कचरे के अलग होने पर निगम प्रशासन को उसके निस्तारण में आसानी होगी। मंगलवार को निगम सभागार में नगर आयुक्त ने बैंगी सेना से जुड़ी महिलाओं संग बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

निगम के साठ वार्डों से जुड़े 66 हजार घर-दुकानों से महिलाओं के माध्यम से कचरा उठाने के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड लालढांग निस्तारण किया जाता है। नगर गीला और सूखा कचरा अलग नहीं होने से निस्तारण में दिक्कत आने के साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। जिसके बाद निगम ने निर्णय लिया कि एक अप्रैल से सोर्स सेग्रीगेशन का नियम लागू होगा। शुरुआत वार्ड नंबर 38 से 47 तक से होगी। निगम सभागार में बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि बुधवार से जागरूकता अभियान शुरू हो जाएगा।

इस अप्रैल से पूरे शहर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं, बैंगी सेना ने कहा कि शहर की कई गलियों में सीवर-पेयजल लाइन के काम को लेकर मार्गों को खोदा गया है। जिस वजह से कूड़ा वाहन अंदर नहीं पहुंच पाता है। समस्या के समाधान को लेकर चालक-हेल्पर को निर्देश दिए गए कि ऐसी गलियों में वाहन को बाहर खड़ा कर अंदर जाकर सूचना देनी होगी। ताकि लोग डस्टबिन लेकर बाहर आ जाएं।

नगर निगम सभागार में आयोजित बैंगी सेना की बैठक में मौजूद महिलाएं • जागरण

पीसीवी में पंजीकृत कारोबारी ही खरीदेंगे सामान

रेग्ज विक्रेता की आपत्तियों सुलझाने के लिए घरों से आने वाले कूड़े से प्लाट को बिक्री किए जा सकने वाले सामान को अलग किया जाएगा। निगम के अनुसार निगम भी विस्थापितम प्लाट को वह कबाड़ बेचा जाएगा। उसका प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड और निगम में पंजीकरण होना जरूरी है। गीले कचरे से खाद तैयार की जाएगी।

समस्याओं का जल्द समाधान जरूरी: मेयर

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने मंगलवार को नगर आयुक्त चारितोष वर्मा संग स्वास्थ्य, निर्माण और अन्य अनुभागों के अफसरों संग बैठक की। इस दौरान मेयर ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान को गंभीरता से काम करना होगा। सड़कों से जुड़ी शिकायतें मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। निर्माण संबंधी कामों में भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

अंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए आई सस्ती चीनी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: लंबे समय से चीनी मिलने का इंतजार कर रहे अंत्योदय कार्डधारकों को राहत मिली है। राशन की दुकानों पर 12 महीने की चीनी पहुंच गई है। दुलहों कार्डधारक इसे थाने के राशन के कोटे में साथ ले सकते हैं। जिले में 17,834 अंत्योदय कार्डधारक हैं, जिन्हें गेहूं, चावल के साथ-साथ चीनी भी मिलती है। अक्टूबर 2024 से इन लोगों को चीनी नहीं मिली थी। अब जाकर उनका इंतजार आंशिक रूप से खत्म हुआ है। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक की चीनी दुकानों में पहुंच गई है। कार्डधारकों को 12 माह की 12 किलो चीनी एक साथ मार्च में मिलेगी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय जोशी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को 13.50 रुपये के दर से चीनी मिलेगी।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय यून मेडिकल कॉलेज
देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)

पत्रांक– 1414/राजकीय यून मेडिकल कॉलेज/स्नातक–1/ए/विज्ञापन/भर्ती/2026–27 दिनांक 10.03.2026

बॉक्स–यून–इंटरव्यू

राजकीय यून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के विभिन्न संकाय सदस्यों के रिक्त पदों (बॉक्स स्पेशियलिटीज एवं सुपर स्पेशियलिटीज) के लिए दिनांक 20–03–2026 (बुधवार) को प्रातः 8.30 बजे से राजकीय यून मेडिकल कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून में बॉक्स–इन–इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। नियुक्तियां वरीयता के आधार पर अधिकतम 05 वर्षों (वार्षिक आधार पर विस्तार योग्य) या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, की जाएंगी। विभिन्न विभागों में रिक्तियों का विवरण राजकीय यून मेडिकल कॉलेज, देहरादून की वेबसाइट www.gdmcuk.com पर अपलोड किया गया है।

प्राचार्य
राजकीय यून मेडिकल कॉलेज, देहरादून

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (एआरएमबी), 1, पलटन बाजार, क्लॉक टावर, जिला– देहरादून
ई–मेल: cs8218@pnb.bank.in, मो0 नं0: 9536582435, 9113111048

ई–नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	डिमांड नोटिस सरफेसी 13(2) के अनुसार / बकाया राशि दिनांक / कब्जे दिनांक सरफेसी 13(4) के अनुसार / कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / ईएमडी जमा के अंतिम तिथि / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों का ज्ञात प्रभार का विवरण
सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) एवं नियम (9) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।						
1	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मौहम्मद नसरूद्दीन पुत्र शेज़ख मौहम्मद, पताः ब्लॉक ऑफिस के पीछे, वार्ड नं0 5, गदरपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराचंल- 263152, श्री मौहम्मद नसरूद्दीन पुत्र शेज़ख मौहम्मद, पताः वार्ड नं0 6, पंजाबी कॉलोनी गदरपुर, मो0- +918958811458, दिशा कम्युनिकेशन द्वारा शेख मौहम्मद, सकेंनिया रोड़ गदरपुर, मो0- +918958811458, मौहम्मद नसरूद्दीन पुत्र शेख मौहम्मद, ग्राम- बाराखेड़ा, वार्ड नं0 6, पूर्वी कब्रिस्तान रोड़, तहसील- गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, मो0- +918958811458	बंधक भूमि एवं दो स्टोरी मकान, खाता नं0 152, खसरा नं0 386 खा मिन, प्लॉट नं0 162.64 वर्ग मीटर अर्थात् 1750 वर्ग, बही नं0 1, जिल्द नं0 2792, पेज नं0 173 से 200, क्र0सं0 3115, दिनांक 25.06.2019, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बाजपुर, सम्पत्ति स्वामी मौहम्मद नसरूद्दीन पुत्र शेज़ख मौहम्मद, ग्राम- बाराखेड़ा, गदरपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 263152, सीमाएँ:- पूर्वः नूर मौहम्मद का मकान, पश्चिमः अख्तर की सम्पत्ति, उत्तरः अली मौहम्मद का मकान, दक्षिणः नाला फिर 16 फीट चौड़ा रास्ता। सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद नसरूद्दीन पुत्र शेज़ख मौहम्मद।	17.02.2025 रु0 **22,85,045.66** (रूपये बाईस लाख पिचासी हजार पैंतालीस एवं छयासठ पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे-व्यय वसूली (यदि कोई हो) अनुबंधित दर दिनांक 31.01.2025 से पूर्ण भुगतान तक 24.04.2025 **(सांकेतिक कब्जा)**	रू0 36,60,000/- रू0 3,66,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 20,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
2	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स, पताः ग्राम राजपुर निकट चीनी मिल नादेही जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। श्री सुदेश कुमार पुत्र गजपाल सिंह **(पार्टनर)** ग्राम मनकारा, थाना भोट नरखेड़ा, बिलासपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमती मूंगा देवी पत्नी दुर्गा सिंह, **(पार्टनर) पताः** ग्राम राजपुर, निकट चीनी मिल नादेही, जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। **गारन्टरः** श्री करन सिंह पताः वार्ड नं. 2, मौहल्ला मनशा पट्टी, जसपुर खुर्द, जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, श्री ओमपाल सिंह पुत्र लखपत सिंह, पताः मकान नं. 226 अफजलगढ़ रोड, मनसा पट्टी, नाता सिंह जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।	बंधक सम्पत्ति फैक्ट्री भूमि एवं भवन स्थित खसरा नं. 376 मिन, क्षेत्रफल 336.64 वर्गमीटर ग्राम राजपुर, तहसील जसपुर, जिला उधम सिंह नगर सम्पत्ति स्वामी श्रीमती मूंगा देवी, रजिस्ट्रर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय जसपुर विक्रय विलेख बही नं. 1, पेज 13-32 जिल्द नं. 302 क्रंमाक नं. 2014 दिनांक 09.06.2015 पर पंजीकृत है। मापः- 336.64 वर्गमीटर। स्वामित्वः श्रीमती मूंगा देवी पत्नी श्री दुर्गा सिंह।	15.07.2019 रु0 **59,87,613.34** (उनसठ लाख सत्तासी हजार छः सौ तेरह रुपये एवं चौंतीस पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.07.2019 से पूर्ण भुगतान तक 22.02.2024 **(भौतिक कब्जा)**	रू0 32,85,000/- रू0 3,28,500/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 20,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
3	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स पंतनगर तराई एग्रो सीड्स, खसरा नं. 93, ग्राम सरवरखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर-244713, मो0- 9837086823, श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह मकान नं. 14, ग्राम सरवरखेडा, तहसील काशीपुर जिला- उधम सिंह नगर उत्तराखंड-244713, मो0-9690781345, 9837086823, श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, मकान नं. 211, ग्राम सरवरखेडा, तहसील काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-244713, मो0- 9690781345 श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह सरवरखेडा मलीत्रा फार्म ग्राम सरवरखेडा, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 244713, मो0- 9690781345, श्रीमती चन्द्रकांता पत्नी श्री वेद प्रकाश मकान नं. 168, ग्राम सरवरखेडा, तहसील काशीपुर जिला- उधम सिंह नगर उत्तराखंड-244713	**सम्पत्ति नं. 1:** बंधक भूमि और भवन सम्पत्ति स्वामी श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जिसका खसरा नं. 93 मिन, माप 0.203 हैक्टेयर स्थित ग्राम सरवरखेडा, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर। विक्रय विलेख के अनुसार दिनांक 03.09.2019 रजिस्ट्रर्ड बही नं. 1, इलैक्ट्रोस्टेट जिल्द नं. 1871 पेज नं. 305 से 326 क्रंमाक नं. 6660, दिनांक 04.09.2009, सब रजिस्ट्रार कार्यालय काशीपुर पर पंजीकृत है। (उक्त भूमि को पट्टे पर दिनांक 28.11.2013 को 30 वर्षो के लिया दिया गया है। जिसका माप 558 वर्गमीटर सम्पत्ति स्वामी श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह द्वारा मैसर्स पेत नगर तैराई) स्वामित्वः श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह। **सम्पत्ति नं. 2:** बंधक गेर कृषि भूमि सम्पत्ति स्वामी श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह स्थित खसरा नं.175/1मिन, माप 0.174 हैक्टेयर ग्राम सरवरखेडा तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19.04.2007 बही नं. 1, इलैक्ट्रोस्टेट जिल्द नं. 1506, पेज नं. 201-204 क्रंमाक नं. 3099 दिनांक 19.04.2007, सब रजिस्ट्रार कार्यालय काशीपुर पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह। **सम्पत्ति नं. 3:** बंधक गैर कृषि भूमि सम्पत्ति स्वामी श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह क्रेता पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री गुरूदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह विक्रय विलेख पॉवर ऑफ अटॉर्नी बही नं0 04, जिल्द नं0 248, पेज नं0 295-300, क्र0सं0 319, दिनांक 27.09.2010, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, स्थित खसरा नं0 93 मिन, माप क्षेत्रफल 0.1285 हैक्टेयर स्थित ग्राम- सरवरखेडा तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 29.09.2010 बही नं. 1, इलैक्ट्रोस्टेट जिल्द नं. 2286, पेज नं. 111-136 क्रंमाक नं. 8473 दिनांक 29.09.2010, सब रजिस्ट्रार कार्यालय काशीपुर पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह।	05.07.2018 रु0 **1,77,72,695.29** (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख बाहत्तर हजार छः सौ पिचानवे एवं उन्नतीस पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.07.2018 से पूर्ण भुगतान तक 14.02.2019 **(सांकेतिक कब्जा)**	**सम्पत्ति नं0 1** रू0 99,25,000/- रू0 9,92,500/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 1,00,000/- **सम्पत्ति नं0 2** रू0 48,60,000/- रू0 4,86,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 50,000/- **सम्पत्ति नं0 3** रू0 55,50,000/- रू0 5,55,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 50,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
4	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स केएलबी इलेक्ट्रिकल्स, **डारेयक्टरः** श्री अनिल कुमार बैद, श्री तारा चन्द्र बैद, पताः प्लॉट नं0 सी/72, फेस-3, एल्डेको सिडकुल औद्योगिक पार्क, निकट चोरगलिया सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। मैसर्स केएलबी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, केएलबी हाउस, 707, राजेन्द्र लकरा मार्ग मुंडका नई दिल्ली-110041, मो0 नं0 91 9810644955, श्री अनिल कुमार बैद **(डारेयक्टर/गारन्टर)** मैसर्स केएलबी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सी/4 मियांवाली नगर दिल्ली- 110087, मो0 नं0 91 9810644955, श्री तारा चन्द बैद **(डारेयक्टर/गारन्टर)**, मैसर्स केएलबी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-88, कीर्ति नगर, नई दिल्ली- 110015, मो0 नं0 91 9810644955	बंधक पट्टे पर दी गई सम्पत्ति विक्रय विलेख बही नं0 1, इलेक्ट्रोस्टेट जिल्द नं0 79, पेज नं0 23 से 66, निर्मित भूमि एवं बिल्डिंग, स्थित प्लॉट नं0 सी-72, खसरा नं0 28, फेस-3, एल्डेको सिडकुल, औद्योगिक पार्क, निकट चोरगलिया सितारगंज उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। माप क्षेत्रफल 1023.57 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी मैसर्स केएलबी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड।	18.04.2018 रु0 **1,63,92,031/-** (एक करोड़, तरेसठ लाख बानवे हजार इक्तीस रूपये मात्र) + प्रभावी ब्याज अन्य खर्चे (यदि कोई हो) दिनांक 01.04.2018 से 26.02.2021 **(भौतिक कब्जा)**	रू0 81,25,000/- रू0 8,12,500/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 50,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
5	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स ओम सीड्स प्रोडक्टस, पताः ग्राम पहाड़पुर नमौना, तहसील बाजपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 262401, मो0 +919917204444, श्री चन्द्रभान यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव **(पार्टनर/गारन्टर),** पताः 160, खमरिया, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 262401, मो0 +919917204444, श्रीमती मारूति यादव **(पार्टनर/गारन्टर)**, पताः मकान नं. 160, खमरिया, उधम सिंह नगर, उत्तराखंडड- 262401, मो0 +919917204444, श्री प्रेम सिंह यादव **(पार्टनर/गारन्टर)**, एन एच- 16 खमरिया उधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 262401, मो0 9917647777	**सम्पत्ति नं. 1: संयुक्त भाग एः** बंधक गैर कृषि भूमि और भवन स्थित खसरा नं. 20आ, मिन माप 0.035 हैक्टेयर, ग्राम खामरिया, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, रजिस्ट्रर्ड उपहार विक्रय विलेख बही नं. 1, जिल्द 777, पेज 135-162 क्रंमाक नं. 1297, सब रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर, दिनांक 08.03.2010 (सम्पत्ति मुख्य रूप से मैसर्स ओम ट्रेडर्स में बंधक है और मैसर्स ओम सीड्स प्रोडक्ट्स की क्रेडिट सीमा को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है) मापः 0.035 हैक्टेयर। स्वामित्वः श्री चन्द्रभान यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश। **संयुक्त भाग बीः** बंधक गैर कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 21 माप 0.015 हैक्टेयर और खसरा नं. 23ब, माप 0.022 हैक्टेयर, स्थित ग्राम खमरिया, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, रजिस्ट्रर्ड उपहार विलेख दिनांक 10.07.2015 रिकार्ड बही नं. 1, जिल्द नं. 2161, पेज 113-128, क्रंमाक नं. 5277, सब रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर (सम्पत्ति मुख्य रूप से मैसर्स ओम ट्रेडर्स में बंधक है और मैसर्स ओम सीड्स प्रोडक्ट्स की क्रेडिट सीमा को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है) माप 371.75 वर्गमीटर। स्वामित्वः श्री चन्द्रभान यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश। **संयुक्त भाग सीः** बंधक व्यवसायिक भूमि और भवन स्थित खसरा नं. 20आ, मिन, माप 1008 वर्गफीट, ग्राम खमरिया, तहसील बाजपुर, जिला बाजपुर, विक्रय विलेख दिनांक 08.06.2012 रिकार्ड बही नं. 1, जिल्द नं. 1290, पेज 393-426, क्रंमाक नं. 4590, सब रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर। (सम्पत्ति मुख्य रूप से मैसर्स ओम ट्रेडर्स में बंधक है और मैसर्स ओम सीड्स प्रोडक्ट्स की क्रेडिट सीमा को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है), मापः 1008 वर्गफीट/93.68 वर्गमीटर। स्वामित्वः श्रीमती मारूति यादव पत्नी श्री चन्द्रभान यादव। **सम्पत्ति नं. 2: संयुक्त भाग एः** बंधक गैर कृषि भूमि सिति खसरा नं. 346 अ, मिन, माप 0.404 हैक्टेयर ग्राम पहाडपुर, बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.04.2017, रिकार्ड बही नं. 1, जिल्द नं. 2423, पेज 237-252, क्रंमाक नं. 1432, दिनांक 21.04.2017 सब रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर एवं सुधार विक्रय विलेख दिनांक 23.09.2017, रिकार्ड बही नं. 1, जिल्द नं. 2484, पेज 383-392, क्रंमाक नं. 3889 सब रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर। (सम्पत्ति मुख्य रूप से ओम् सीड्स प्रोडक्टस में बंधक है), मापः 0.404 हैक्टेयर/4040 वर्गमीटर। स्वामित्वः श्रीमती मारूति यादव पतनी श्री चन्द्रभान यादव। **संयुक्त भाग बीः** बंधक गैर कृषि भूमि स्थित खसरा नं. 346 आ मिन, माप 0.202, हैक्टेयर पहाडपुर, बाजपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड, विक्रय विलेख दिनांक 21.04.2017, सब रजिस्ट्रार कार्यालय बाजपुर। (सम्पत्ति मुख्य रूप से ओम् सीड्स प्रोडक्टस में बंधक है), मापः 0.202, हैक्टेयर/2020 वर्गमीटर। स्वामित्वः श्रीमती मारूति यादव पत्नी श्री चन्द्रभान यादव।	24.04.2023 रु0 **2,14,68,923.72** (रूपये दो करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार नो सौ तेईस एवं बहत्तर पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 31.03.2023 से पूर्ण भुगतान तक 18.07.2023 **एवं** 01.12.2023 **(सांकेतिक कब्जा)**	**सम्पत्ति नं0 1** रू0 3,36,20,000/- रू0 33,62,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 1,00,000/- **सम्पत्ति नं0 2** रू0 2,28,20,000/- रू0 22,82,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 1,00,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
6	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स ओम ट्रेडर्स, पताः हल्द्वानी रोड, बाजपुर जिला- उधम सिंह नगर, उत्त